A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी— श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
91/अपील/2018	04.09.2018	26.07.2019

हरजी, रामदेव, प्रहलाद, औंकार, किशन पिसरान केसरा, जाति गुर्जर निवासी ग्राम तंवरो का झोपड़ा काला माल, तहसील नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान) — अपीलांटस

— बनाम —

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राज0)

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02.07.2018
तहसीलदार, नैनवां
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :—
अपीलांट की ओर से — श्री उमेश आर्य, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — पेरोकार सरकार

—: निर्णय :—

यह अपील तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2018 से अप्रसन्न होकर अपीलान्टस ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 609, 617 रकबा 02 बिस्वा किस्म गै.मू.रास्ता वाके ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, पैनाल्टी 10/— रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्टस व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है एवं आदेश न्यायसंगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/2

अपीलान्ट की तामील मानकर निर्णय पारित किया गया है जो विधि संगत नहीं है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्टस ने पैनाल्टी राशि जमा करा दी है कोई राजस्व बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी बाबत् कोई साक्ष्य व सबूत व दस्तावेज नहीं लिये है। पश्चातवर्ती साबित किये बिना अतिक्रमी को सजा के कारावास से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्टस का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.07.2018 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्टस ने राजकीय गै.मू.रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्टस को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्टस पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्टस ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह गै.मू.रास्ता की भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्टस ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा छोड़ने बाबत् पटवारी रिपोर्ट व अम्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्टस ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्टस को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की रिपोर्ट संलग्न नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्टस को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्टस को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्टस के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्टस को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी बयान में है। जिससे अपीलान्टस पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्टस विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्टस पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण

आ० जिला कलेक्टर
बून्दी (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्टस ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्टस उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बून्दी (राज0)